

मालिकों और नौकरों के लिए काम पर चोट लगने और पैसे कि वजह से हुई बीमारीयों के हरजाने के सम्बन्ध मे महत्वपूर्ण सूचना

नौकरों को हरजाने का विधान

नौकरों को हरजाने के विधान (ई सी ओ), अध्याय २८२ जो हाँग काँग के कानून के मुताबिक समपूर्ण दिन काम करने वाले नौकर और कुछ समय काम करने वाले नौकरों पर हाँग काँग में लागू होता है, जो काम पर रहने पर लगी वोटों या मृत्यु के सम्बन्ध में है ।

काम पर चोट लगना

- अगर किसी नौकर को नौकरी के दौरान किसी दुर्घटना से सम्बन्ध रखते हुए, चोटों से झेलना पढता है, या उसकी मृत्यु होती है, उसका मालिक साधारण तौर पर ई सी ओ के अधीन हरजाना भरनेका उत्तरदायी है ।
- किसी चोट पहुँचे हुए नौकर को दुर्घटना के बारे में जितनी भी जल्दी संभव हो सके अपने मालिक को सूचना देनी चाहिए ।
- किसी मालिक को श्रम विभाग का किसी भी काम पर हुई दुर्घटना के बारे में १४ दिन के बीच सूचना देनी चाहिए (७ दिन के बीच अगर स्थिति जीवघातक है) दुर्घटना के बाद ।
- एक नौकर, जो पेशेवर बीमारी जिसे ई सी ओ में निश्चित की गयी है, के कारण असामर्थ होने का दुख भोगता है, वो सामान्य हरजान और रक्षा का अधिकारी है ।

हरजाने का भुगतान

१. बीमार होने पर छुट्टी की तनख्वाह: काम पर चोट लगने के कारण बीमारी होने पर छुट्टी के समय के दौरान, नौकर का अधिकार बनता है की उसे अपनी सामान्य तनख्वाह के दिनों पर कया जाना चाहिए और बीमारी भत्ता की दैनिक दर सहायक की औसत दैनिक मजदूरी के चार-पांचवें के बराबर है ।

२. देर मूल का हरजाना: अगर दुर्घटना कि वजह से चोट लगने पर नौकर स्थायी तौर पर निर्बल हो जाता है, तो उसका अधिकार है कि उसे देर मूल का हरजाना, जिसकी गिनती नौकर कि उम्र, मासिक कमाई और स्थायी तौर पर कमाने कि योग्यता खोने कि बातें ध्यान में रखी जाती हैं (जिस तरह सटाट्यूटरी नौकरों के हरजाने का दर ठहराने की प्रक्रिया कि सबा मे निश्चित किया गया हो) । किसी मालिक को अपने नौकर को हरजाने की राशि, जिसे श्रम विभाग ने प्रमाणित किया है २१ दिनों के अंदर देनी चाहिए ।

३. चिकित्सा सम्बन्धी खर्चा: अगर क्षतिकर नौकर की मुफ्त चिकित्सा बराबर और काफी नहीं होती, तो मालिक, नौकर के काम पर लगी चोटों के लिए चिकित्सा सम्बन्धी खर्चा देने का उत्तरदायी है, ई सी ओ के तहत एक दैनिक अधिकतम दर के अधीन बताया गया है । यह दर श्रम विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है (www.labour.gov.hk/eng/legislat/content1.htm) ।

अनिवार्य बीमा

मालिकों को आवश्यक है कि वो नौकरों के हरजानों का बीमा कराये जिससे उनका उत्तरदायित्व प्रयाप्त हो सके जो ई सी ओ और (सार्वजनिक कानून) के तहत नौकरों के काम के दौरान लगी चोटों के लिए है ।

अगर कोई भी मालिक दुर्घटना की खबर देने से चूकता है, या बीमा निकालने से चूकता है या हरजाना देने से चूकता है

नौकर को श्रम विभाग को फौरन खबर देनी चाहिए ।

दावों जिन्हें अदालत निश्चित करेगी

- ई सी ओ ने श्रमिकों के अधिकारी को हक नहीं दिया है कि वो विवाद वाले दावों पर फैसले के लिए पूर्णविचार करे । अगर मालिक और नौकर आपस में अपना विवाद श्रम विभाग कि सहायता से नहीं सुलझा सकता तो अदालत ही उनका दावा निश्चित करेगी ।
- अदालत में नौकरों के हरजाने के दावे का निवेदन पत्र दुर्घटना की तारीख से २४ महिनो के बीच देना चाहिए । इसलिए किसी नौकर का मामला दुर्घटना की तारीख से १८ वें महीने के खत्म नहीं होने पर नहीं सुलझाता, तो उस नौकर को जितनी भी जल्दी हो सके, श्रम विभाग से संपर्क करना चाहिए और उसकी सहायता लेनी चाहिए ।

नौकरी की रक्षा

कौई भी मालिक अपनी ऊच्छा से अपने क्षतीकर नौकर को उसके नौकरी के मेके से बेदखल नहीं कर सकता, जब तक श्रम विभाग योग्य प्रमाण पत्र नहीं प्रकाशन करता, या जब तक हरजाने का दावा नौकर के साथ सुलझ नहीं जाता ।

अपराधी पर फौजदारी का मुकदमा

अगर कोई भी मालिक ई सी ओ कि शर्तो को जान बूझ कर तोड़ता है, तो श्रम विभागनौकर की फौजदारी के मुकदमें में गवाह होने कि अनुमति लेने के बाद, उस मालिक के खिलाफ फौजदारी का मुकदमा करने के लिए सोच सकती है ।

पूछ ताछ

- साधारण पूछ ताछ: 2717 1771 ("1823" द्वारा संभाला)
- होम पेज का पता: www.labour.gov.hk
- नौकरों के हरजाना पाने के विबाग के जिले के दफतरों मे खुद जाकर पूछ ताछ की जा सकती है, संबंधित कार्यालयों के पते के लिए, कृपया श्रम विभाग की वेबसाइट देखें (www.labour.gov.hk/eng/tele/ec.htm) ।

(यह पथप्रदर्शक सरल शब्दों में नौकरों को हरजाने के विधान (कैप. २८२) को स्थापित करना है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह विधान अपने आप में ही एक कानून कि शर्तों को समझाने का अकेला प्रमाण है ।)

